नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी

# न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

## (पीठासीन अधिकारीः– सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः– 93 / 22 (18 आयुध अधिनियम 1959 ) (RCMS No.2022/97)

अनूपसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति जाट निवासी पुरानी ट्रक युनियन करौली हाल आबाद ग्राम तरगवा थाना भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर ।

.........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 15.6.2022

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

### निर्णय

दिनांकः 18.09.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 15.6.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट श्री अनूपसिंह पुत्र मंगलसिंह जाट निवासी पुरानी ट्रक यूनियन करौली हाल आबाद ग्राम तरगवां थाना भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के आदेश दिनांक 28.11.2008 जिसके द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है के विरूद्ध अपील संख्या 78 / 10 न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा उक्त अपील में दिनांक 24.12.2010 को निर्णय पारित करते हुये अपीलान्ट श्री अनूपसिंह की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे। उक्त आदेश की पालना में अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से सन्तुष्ट नहीं होने के कारण न्यायालय तहत के द्वारा अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र आदेश दिनांक 6.1.2019 द्वारा पुनः निरस्त कर दिया। जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 की पुनः न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर में अपील पेश किये जाने पर निर्णय दिनांक 02.11.2021 के द्वारा पुनः रिमाण्ड की गई। तदोपरान्त दूसरी बार रिमाण्ड आदेश दिनांक 02.11.2021 पर बाद कार्यवाही तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.6.2022 को निर्णय पारित किया गया। जिसमें बिना किसी आवश्यकता के किसी भी व्यक्ति को शस्त्र का अनुज्ञापत्र दिया जाना उचित नहीं पाते हुये अपना पूर्व आदेश यथावत रखा गया। इस आदेश दिनांक 15.6.2022 के खिलाफ उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को सहायक लोक अभियोजक उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि अदालत मातहत द्वारा अदालत हाजा की ओर से प्रकरण दो बार सुनवाई हेतु रिमाण्ड किए जाने के बावजूद भी प्रकरण के गुणावगुण पर विचार नहीं कर यह मानते हुए कि तत्समय शस्त्र को संबंधित थाने में जमा नहीं करवाए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अपीलान्ट के वृद्ध होने का उल्लेख करते हुए यह अभिमत लिया गया है कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं को शस्त्र अनुज्ञा पत्र किस कारण चाहिए, के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया है। बिना किसी आवश्यकता के किसी भी व्यक्ति को शस्त्र का अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नहीं मानकर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आदेश दिया है, जो कि उचित नहीं है। अपीलान्ट की ओर से अपना शस्त्र थाना भुसावर दिनांक 30.12.2009 को जमा करा दिया गया था, जो कि अभी भी थाने में जमा है। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अपीलान्ट के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक करौली से पुनः रिपोर्ट चाहे जाने पर पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.05.2022 के द्वारा अपीलान्ट के अनुज्ञा पत्र को बहाल किए जाने की अनापत्ति दिए जाने के बाबजूद भी आधारहीन तथ्यों पर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किए जाने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2022 के द्वारा दिया गया है। जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध न तो किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण ही दर्ज है और न ही अपीलान्ट द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग ही किया गया है। इसके बाबजूद उम्र को आधार बनाकर जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त किए जाने का आदेश दिया है जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र बहुत पुराना है, जिसे तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के बाद जारी किया गया था। अपीलान्ट के द्वारा तहत अदालत के प्रत्येक आदेश की अक्षरशः पालना की गई है। तहत अदालत का यह मानना कि शस्त्र थाने में जमा नहीं कराया गया गलत है, क्योंकि अपीलान्ट का शस्त्र दिनांक 30.12.2009 से थाना भुसावर में जमा है पुलिस अधीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.5.2022 के द्वारा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने की सिफारिश की है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के मनमाने तरीके से यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया। न्यायालय हाजा के पूर्व रिमाण्ड आदेश में दिये गये आदेशों की पालना नहीं की गई और ना ही वास्तविक जांच की गई केवल सरसरी तौर से जांच कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक दिनांक 15.6.2022 एकतरफा में पारित किया गया है। जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं हुई। दिनांक 22.7.2022 को अपीलान्ट के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जिला मजिस्ट्रेट करौली के कार्यालय में जाने पर उक्त पत्रावली के बारे में जानकारी करने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक की जानकारी हुई। अपीलान्ट ने उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और दिनांक 08.08.2022 को नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। फिर भी अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2022 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किए जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2022 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 16.08.2022 को मियाद बाहर अपील पेश किए जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु का निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.07.2022 को होने, नकल दिनांक 08.08.2022 को प्राप्त होने के बाद जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। जिसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी वर्णित दिनांक की पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2022 अदालत हाजा की ओर से अपील संख्या 143/2019 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2021 में दिए गए निर्देशों के तहत पारित किया गया है। अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 02.11.2021 में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को जिला मजिस्ट्रेट करौली की ओर से पारित आदेश दिनांक 06.11:2019 को निरस्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलान्ट को सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर देकर वास्तविक तथ्यों व निर्णय में वर्णित दोनों रिपोर्टो के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक न्यायसंगत आदेश पारित करें। जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 02.11.2021 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु तलब किया गया है व

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

8-9-2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब की गई। जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश में पुलिस अधीक्षक करौली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 25.04.2022 में वर्णित इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अनूप सिंह गांव तरगंवा तहसील भुसावर जिला भरतपुर का मूल निवासी है। वर्तमान में करौली में निवास नहीं कर रहा है और न ही यहां का स्थायी निवासी है। करीब 12 वर्ष पूर्व करौली में रहकर रंगीलाल ठेकेदार के यहां मैनेजर का काम किया था। श्री अनूप सिंह के विरूद्ध कोई अभियोग पंजीवद्ध नहीं होने व न ही न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र को वहाल किए जाने में अनापत्ति रिपोर्ट प्रेषित किए जाने का उल्लेख करते हुए यह माना है कि गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के दौरान श्री प्रेमराज द्वारा शस्त्र को संबंधित थाने में नहीं जमा कराए जाने के कारण उनका शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया था। न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर से पत्रावली प्राप्त होने पर अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा तत्समय शस्त्र को थाने में जमा नहीं करवाए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए जाने, अपीलार्थी के वृद्ध व्यक्ति होने के कारण अपीलार्थी द्वारा स्वयं को शस्त्र अनुज्ञापत्र किस कारण चाहिए इस संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताए जाने व बिना आज्ञा के किसी भी व्यक्ति को शस्त्र के अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नहीं मानकर अपीलान्ट के पक्ष में जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 16/एसडब्लूएम/88 निरस्त किए जाने का आदेश दिया है, जो कि अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 02.11.2021 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उक्त आदेश में अदालत हाजा के द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक करौली व जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट को नजरअंदाज किए जाने के संबंध में कोई कारण स्पष्ट नहीं किया। जबकि दोनों रिपोर्टों में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु अपनी–अपनी सहमति जाहिर की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पुनः उपरोक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक करौली तथा पुलिस अधीक्षक भरतपुर से रिपोर्ट चाहे जाने पर पुलिस अधीक्षक करौली की ओर से पत्र कमांक 3337 दिनांक 25.04.2022 व पुलिस अधीक्षक भरतपुर के पत्र कमांक 812 दिनांक 24.05.2022 के द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र थाना भुसावर में जमा होने व शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निलम्बित से बहाल किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। विद्वान जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन निर्णय में दोनों रिपोर्ट के संबंध में असहमत होने के बारे में किसी तरह का कोई कारण नहीं बताया। वरन् यह मानते हुए कि अपीलार्थी द्वारा तत्समय शस्त्र को थाने में जमा नहीं करवाए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। अपीलार्थी वृद्ध व्यक्ति है। अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र किस कारण चाहिए। इस संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताए जाने के कारण बिना आवश्यकता के शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित नहीं माना है। जबकि उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट को पूर्व से ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किया हुआ है। जिसको गुर्जर आन्दोलन के दौरान थाने में जमा नहीं कराए जाने के कारण

न्यायालय संभागीय आयुक्त * भरतपुर संभाग, भरतपुर *

6-9-2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निरस्त किया गया था के संबंध में अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अपील पेश की गई थी, जो कि निर्णय दिनांक 24.12.2010 व 02.11.2021 के द्वारा पुनः सुनवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेट करौली को प्रतिप्रेषित की गई थी। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2022 अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 02.11.2021 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप पारित नहीं किए जाने के कारण प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेट करौली को भिजवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ जिला मजिस्ट्रेट करौली को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व समुचित अवसर देने के बाद पुलिस अधीक्षक भरतपुर व करौली से प्राप्त हुई रिपोर्ट के संबंध में स्पष्ट अभिमत व्यक्त करने के बाद आयुध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत न्यायिक विवेक का उपयोग कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

18.9.2023

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर